रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2009/फाल्गुन 21, 1930

No. 33] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2009/PHALGUNA 21, 1930

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2009

दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियम, 2009

(2009 का 2)

फा. सं. 409-12/2008-एफएन.— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के उप–खंड (ii), (iii) और (iv) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूररसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार, 2003 (2003 का 4) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1.(1) इन विनियमों को दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियम, 2009 कहा जाएगा
(2) ये अप्रैल, 2009 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होंगे ।
2. दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4), (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रधान विनियम कहा गया है) में, –
(क) विनियम 4 में, " अनुसूची–III – एक्सेस डेफिसिट प्रभार (एडीसी)" प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :–
"अनुसूची IV – शॉर्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) के लिए अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी)";

(ख) विनियम 5 में, उप–विनियम (IV) के पश्चात् निम्नलिखित उप–विनियम अंतःस्थापित किया जाएंगे, अर्थात् :–

"(v) **अनुसूची II के पैरा (क) के अंतर्गत निर्दिष्ट भारत के भीतर लंबी दूरी की कॉलों हेतु कैरिज प्रभारों के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकता.**– प्रत्येक राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक, तिमाही आधार पर, कैरिज प्रभार की प्रति मिनट दर तथा भारत के भीतर इसके द्वारा प्रत्येक बीएसओ / सीएमएसपी / यूएएसएल / आईएलडीओ से, अलग–अलग, प्राप्त की गई लंबी दूरी की कॉलों के लिए ऐसे कैरिज प्रभार की कुल राशि की रिपोर्ट प्राधिकरण को करेगा, तथा प्रत्येक बीएसओ / सीएमएसपी / यूएएसएल / आईएलडीओ, तिमाही आधार पर, भारत के भीतर लंबी दूरी की कॉलों के लिए प्रति मिनट कैरिज प्रभारों तथा उसके द्वारा प्रत्येक राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक को, अलग–अलग, संदत्त भारत के भीतर लंबी दूरी की कॉलों के लिए ऐसे कैरिज प्रभारों की रिपार्ट, प्राधिकरण को करेगा तथा ऐसी तिमाही रिपोर्ट प्राधिकरण को पिछली तिमाही की समाप्ति के तीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(vi) **अनुसूची IV के पैरा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट शार्ट मैसेज सेवा (एसएमएस) के लिए अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार की रिपोर्टिंग आवश्यकता.**– प्रत्येक बीएसओ / सीएमएसपी / यूएएसएल / एनएलडीओ / आईएलडीओ, तिमाही आधार पर, एसएमएस के लिए अंतरसंयोजन उपभोग प्रभार की दर तथा इसके द्वारा अन्य बीएसओ / सीएमएसपी / यूएएसएल / एनएलडीओ / आईएलडीओ से प्राप्त तथा इसके द्वारा अन्य बीएसओ / सीएमएसपी / यूएएसएल / एनएलडीओ / आईएलडीओ को, अलग–अलग, संदत्त एसएमएस के लिए अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार की कुल राशि के बारे में प्राधिकरण को सूचित करेगा तथा ऐसी तिमाही रिपोर्ट प्राधिकरण को पिछली तिमाही की समाप्ति के तीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।"

3. प्रधान विनियमों की अनुसूची–I में, पैरा 1 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"1. टर्मिनेशन चार्जेज

स्थानीय और राष्ट्रीय लंबी दूरी की वॉयस कॉलों से फिक्सड वायरलाइन को, स्थानीय लूप में वायरलैस (फिक्सड), स्थानीय लूप में वायरलैस (मोबाइल), सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (2जी एवं 3जी दोनों) के लिए टर्मिनेशन चार्जेज 0.20 रु0 (बीस पैसे केवल) प्रति मिनट की दर पर समान होंगे तथा आवक अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की वॉयस कॉलों से ऐसे फिक्स्ड वायरलाइन को, स्थानीय लूप में वायरलैस (फिक्सड), स्थानीय लूप में वायरलैस (मोबाइल), सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (2जी एवं 3जी दोनों) के लिए टर्मिनेशन चार्जेज 0.40 रु0 (चालीस पैसे केवल) प्रति मिनट की दर पर समान होंगे।"।

4. प्रधान विनियमों की अनुसूची II में,

(क) पैरा (ख) में, "0.20 रु0 (बीस पैसे केवल) प्रति मिनट से कम होने चाहिए" शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, "0.15 रु0" (पंद्रह पैसे केवल) प्रति मिनट से कम होंगे" शब्द और संख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी ; ।

(ख) पैरा (ग) के पश्चात्, तथा अनुसूची II की टिप्पणियों से पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"**(घ) ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज (टीएएक्स) ट्रांजिट प्रभार.** सभी मामलों में, सेल्युलर प्रचालकों द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड की सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की एक्सेसिंग के लिए ट्रांजिट प्रभार को छोड़कर, जोकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भारत संचार निगम लिमिटेड के सेलवन समापन परियात के लिए ट्रांजिट प्रभार) विनियम, 2005 (2005 का 10) अथवा किस अन्य प्रवृत्त विधि द्वारा विनियमित किया जाता है, को छोड़कर एक्सेस ट्रांजिट प्रभार 0.15 रु0 (पंद्रह पैसे केवल) प्रति मिनट से कम होगे, और उक्त सीमा के अध्यधीन, संबंधित सेवा प्रदाताओं द्वारा पारस्परिक वाणिज्यिक करार के माध्यम से निर्णित किए जाएंगे।

(ङ) लेवल II ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज (टीएएक्स) से एसडीसीए तक ट्रांजिट कैरिज प्रभार.

सेल्युलर मोबाइल नेटवर्कों से फिक्सड नेटवर्क तक, एलडीसीए के लेवल II ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज (टीएएक्स) से सौंपे गए अंतरासर्किल परियात के कैरिज के लिए, जिसमें कॉल एसडीसीए तक समाप्त की जानी है, के लिए ट्रांजिट कैरिज प्रभार, दूरी को ध्यान में न रखते हुए, प्रति मिनट 0.15 रु0 (पंद्रह पैसे केवल) होगा।"।

5. प्रधान विनियमों की अनुसूची III में, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची–IV

शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) के लिए अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी)

शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) के लिए अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी). – शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) के लिए अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) प्रविरता रहेंगे:

परंतु यह कि ऐसे प्रभार पारदर्शी, व्यतिकारी तथा गैर–भेदभावपूर्ण होंगे।"।

लव गुप्ता, प्रधान सलाहकार, (अंतरसंयोजन एवं फिक्सड नेटवर्क प्रभाग)

[विज्ञापन III/4/142/2008/असा.]

टिप्पणी 1– प्रधान विनियम दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 (2003 का 4) की अधिसूचना संख्या 409–5/2003–एफएन में प्रकाशित हुए थे तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :—

(i) 409–5/2003–एफएन दिनांक 25 नवम्बर 2003 (2003 का 5) (पहला संशोधन);
(ii) 409–5/2003–एफएन दिनांक 12 दिसम्बर 2003 (2003 का 6) (दूसरा संशोधन);
(iii) 409–5/2003–एफएन दिनांक 31 दिसम्बर 2003 (2003 का 7) (तीसरा संशोधन);
(iv) 409–8/2004–एफएन दिनांक 06 जनवरी 2005 (2005 का 1) (चौथा संशोधन);
(v) 409–8/2004–एफएन दिनांक 11 अप्रैल 2005 (2005 का 7) (पांचवां संशोधन) जिसे माननीय टीडीसैट द्वारा 2005 की अपील सं0 7 में 21 सितम्बर 2005 के अपने आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया था;
(vi) 409–5/2005–एफएन दिनांक 23 फरवरी 2006 (2006 का 1) (छठा संशोधन);
(vii) 409–5/2005–एफएन दिनांक 10 मार्च 2006 (2006 का 2) (सातवां संशोधन);
(viii) 409–2/2007–एफएन दिनांक 21 मार्च 2007 (2007 का 2) (आठवां संशोधन);
(ix) 409–22/2007–एफएन दिनांक 27 मार्च 2008 (2008 का 2) (नौवां संशोधन).

टिप्पणी 2– व्याख्यात्मक ज्ञापन इन विनियमों के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है ।

"दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियम 2009" का व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. प्रस्तावना – अंतरसंयोजन और अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी)

1.1 टेलीफोनी उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ प्रदान करती है यदि नेटवर्क प्रभावों का यथासंभव अधिकतम दोहन किया जाए। यह किसी उपभोक्ता को अनेक अन्य उपभोक्ताओं तक संपर्क स्थापित करने में समर्थ बनाती है। प्रचालकों तथा नेटवर्कों की बहुलता की स्थिति में, जैसी कि भारत में विद्यमान है, यह संभव है कि एक दूसरे को कॉल करने वाले उपभोक्ता विभिन्न नेटवर्कों से जुड़े हों और वे नेटवर्क प्रभाव का लाभ ले रहे हों, तथा ऐसी स्थिति में यह नितांत अनिवार्य हैं कि ये नेटवर्क अंतरसंयोजित हों। अनेक किस्मों के एक्सेस नेटवर्कों –फिक्स्ड और मोबाइल, राष्ट्रीय लंबी दूरी के नेटवर्क और अतंर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के नेटवर्कों को एक दूसरे के साथ अंतरसंयोजन स्थापित करना होता है ताकि स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉलें संभव हो सके । यह विविधता अंतरसंयोजनों के प्रकारों और संख्या को अधिक बनाती है तथा यह स्वाभाविक ही है कि यदि इसे प्रभावशाली ढंग से संचालित नहीं किया गया तो इसमें विकृतियां पैदा हो सकती हैं । यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि प्रभावी अंतरसंयोजन सभी सार्वजनिक नीतियों के लिए महत्वपूर्ण है तथा यह दूरसंचार में प्रतिस्पर्धा के अवसर खोलता है।

1.2 जबकि अंतरसंयोजन के लिए सार्वजनिक हित का उद्देश्य अत्यंत सुदृढ़ है, वैयक्तिक प्रचालक इसे भिन्न रूप में देखते हैं। चाहे वे एक्सेस और लंबी दूरी जैसे सहयोगी नेटवर्क हों, अथवा समान क्षेत्र में दो एक्सेस सेवा प्रदाताओं जैसे प्रतिस्पर्धी नेटवर्क हों, अन्य सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क लागत अंतरित करने, यथासंभव राजस्व वसूल करने, प्रतिस्पर्धा में बाधा तथा उनके बाजार हिस्से को जितना अधिक हो सके बनाए रखने अथवा बढ़ाने की प्रवृत्ति से इंकार नहीं किया जा सकता है। इंकम्बेंट, चाहे वे सरकारी हो अथवा निजी, यह नहीं चाहेंगे कि प्रतिस्पर्धी उनके नेटवर्क का लाभ उठाएं, उनके व्यवसाय को झपट लें तथा उच्च लाभ उठाएं। इसके परिणामस्वरूप, दीर्घकालिक एंव महंगा मोलभाव तथा उपभोक्ताओं को प्रभावी सेवाओं, जोकि दूरसंचार सुधारों और बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का सर्वोपरि लक्ष्य था, की कीमत पर कटु प्रतिस्पर्धा का खेल प्रारंभ हो जाता है। यह सार्वजनिक हित में है कि प्रभावी अंतरसंयोजन स्थापित किया जाए । इंकम्बेंट प्रचालक यह महसूस कर सकते हैं कि अंतरसंयोजन के व्यावसायिक लाभ प्रधानतः छोटे नेटवर्क से प्रोद्भूत हों और उन्हें नेटवर्क प्रभाव के कारण अधिकतम परिकल्पित मूल्य का लाभ मिले । अतः वे उच्च मूल्य प्रभारित करके अंतरसंयोजन को बाधित करते हैं, जब विनियम ऐसी अनुमति देते हैं अथवा विलंबित होते हैं, जब विनियमों द्वारा दरों को अधिदेशित किया जाता है। एक विशाल नेटवर्क भी उच्च अंतरसंयोजन मूल्य प्रभारित करके प्रवेश वर्जित करने का आशय रखता है जो खुदरा उपभोक्ताओं के समान वर्ग के लिए छोटे प्रतिस्पर्धियों को समाप्त करता है अथवा कमजोर बनाता है। तब यह स्वाभाविक ही है कि कुछ छोटे प्रदाताओं के लिए अंतरसंयोजन उनके बाजार हिस्से को संभावित चुनौती के रूप में अस्पष्ट हो जाता है जबकि अन्य के लिए यह व्यवसाय

को संचालित करने के लिए एक बुनियादी निवेश होता है। इसके अतिरिक्त, काई नेटवर्क, जिसमें अन्य चीजें समान हो, उच्च अंतरसंयोजन प्रभारों से लाभ उठाता है, जो इसके राजस्व में वृद्धि करता है। इन कारणों से यह सोचना बुद्धिमानी भरा कार्य नहीं होगा कि अंतरसंयोजन सभी परिस्थितियों के अंतर्गत स्वतंत्र एवं उचित रुप से हो जाएगा। अतः विनियामकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक समर्थकारी अंतरसंयोजन परिवेश प्रदान करने के लिए तथा सब्सक्राइबर के लाभ को अधिकतम करने की आवश्यकता के साथ विनियामक निश्चिंतता की आवश्यकता का संतुलन करने के लिए, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए तथा पणधारकों को प्रौद्योगिकीय अभिनवताओं का लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाएं।

1.3 मोबाइल प्रचालक, जिनका एक विशाल सब्सक्राइबर आधार है, छोटे और नए प्रचालकों की कीमत पर उच्च टर्मिनेशन चार्जेज (समापन प्रभारों) से लाभ उठाते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि छोटे एवं नए प्रचालक समापन प्रभारों की बड़ी राशि के निवल भुगतानकर्ता होते हैं क्योंकि उनकी कॉलों का उच्च अनुपात बड़े मोबाइल प्रचालकों पर समाप्त होता है। उच्च समापन प्रभार उनके लाभ–अंतर को तथा उनकी प्रतिस्पर्धी योग्यता को कम कर देते हैं और बड़े सेवा प्रदाताओं को विशिष्ट लागत लाभ देते हैं, जोकि, इसके परिणामस्वरूप, अधिक सब्सक्राइबरों को अर्जित करके समापन बाजार को मजबूत बनाने में समर्थ हैं।

1.4 अन्य अंतरसंयोजन सेवा प्रदाताओं के सब्सक्राइबरों द्वारा की गई कॉलों के समापन में लागत शामिल होती है जिसके लिए सेवा प्रदाताओं को उचित रुप से प्रतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता होती है। विभिन्न सहयोग और प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाताओं के मध्य अंतरसंयोजन व्यवस्थाओं को सुकर बनाने तथा उनके बीच बंदोबस्त को अधिक सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए प्रभावी अंतरसंयोजन उपयोग प्रभारों (आईयूसी) को स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। ऐसी आईयूसी प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिशिचित करना है कि सभी सेवा प्रदाता युक्तिसंगत निबंधन और शर्तों पर ऐसी अंतरसंयोजन सुविधाओं और सेवाओं की एक्सेस हासिल करने में समर्थ हो सकें, जो उनके अपने ग्राहकों को कार्यकुशल सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। एक आईयूसी प्रणाली, जो प्राथमिक रूप से लागतोन्मुखी है, प्रचालकों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है तथा आर्थिक संसाधनों के दुरूपयोग को कम करती है । यह प्रचालकों को उनके उपभोक्ताओं के लिए उनके टैरिफ के नियतन में तथा अभिनव टैरिफ प्लान पेश करने में पर्याप्त लचीलापन प्रदान करती है । यह ग्राहकों के कल्याण, दूरसंचार के स्थिर विकास तथा देश के आर्थिक विकास को संवर्धित करती है ।

2. आईयूसी विवादित उद्देश्यों का सामंजस्य करती है

2.1 आईयूसी की स्थापना के लिए आवश्यक है कि वह पणधारकों के विवादित मतों को ध्यान में रखे तथा प्रायः उठने वाले अनेक विवादित उद्देश्यों का सामंजस्य करे । आईयूसी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य एक युक्तिसंगत लागत पर उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला उपलब्ध करना है तथा साथ ही ये सेवाएं आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक कार्यकुशल रूप में उपलब्ध कराई जानी चाहिए । एक प्रभावी

आईयूसी प्रणाली निवेश आकर्षित करने तथा अवसंरचनात्मक विकास एवं अभिनवता को उद्दीप्त करने के लिए परिस्थितियां सृजित करेगी । इसके साथ–साथ, यह इंकम्बेंट प्रचालकों तथा नए प्रवेशकर्ताओं के बीच उचित प्रतिस्पर्धा के लिए परिवेश भी सृजित करेगी । इसका सार यह है कि उदारीकरण के लाभ यथासंभव शीघ्र समाज के विशाल वर्ग को वितरत कर दिए जाने चाहिए ताकि उपभोक्ता बाजार में सेवाओं की पूरी श्रृंखला को एक्सेस करने में समर्थ हो सकें, न कि केवल उन्हीं सेवाओं का लाभ उठाएं जोकि उसका वह एक्सेस प्रदाता उपलब्ध करा रहा है जिसके नेटवर्क से वे जुड़े हुए हैं।

2.7 आईयूसी प्रणाली की स्थापना करते समय फिक्सड और मोबइल नेटवर्क में प्रतिस्पर्धा, मूल्य, गुणवत्ता, प्रोत्साहनों और निवेश पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दूरसंचार सेवाओं के विकास को आगे ले जाने के लिए आईयूसी के उपयुक्त अवयवों के माध्यम से सेवा प्रदाता को उसके निवेशों और प्रचालनात्मक व्ययों के लिए उचित रूप से प्रतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता है। यदि अंतरसंयोजन मूल्य "अत्यंत कम" निर्धारित किया जाता है, तो अकार्यकुशल प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। इंकम्बेंट प्रचालक नेटवर्क में पर्याप्त रूप से निवेश नहीं करेंगे तथा सेवा की गुणवत्ता से समझौता करेंगे। यदि अंतरसंयोजन मूल्य को "अत्यंत उच्च" निर्धारित किया जाता है, तो यह बाजार में कार्यकुशल प्रतिनिधियों द्वारा प्रवेश को हतोत्साहित करेगा। अकार्यकुशलताओं की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा इसे प्रोत्साहन मिलेगा, और कार्यकुशल नेटवर्कों के विकास के लिए काई प्रोत्साहन नहीं रहेगा। अनेक नए प्रवेशकर्ताओं के लिए, अंतरसंयोजन उनकी बड़ी लागतों में से एक है तथा यह स्थापित प्लेयरों की ओर से प्रतिस्पर्धा को झेलने की उनकी समर्थता को और उनके नेटवर्कों के विकास को प्रभावित करेगा। सेवा प्रदाता खुदरा उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करने के स्थान पर अन्य कैरियरों से भुगतानों को अधिकतम बनाने पर अपना ध्यान लगा सकते हैं । उपभोक्ताओं के एक विशाल खंड के लिए सेवाएं अवहनीय हो सकती हैं तथा जो लोग इसे वहन कर सकते हैं, वे भी उनकी आवश्यकता से अधिक का भुगतान कर रहे होंगे।

2.8 प्रयोग की गई कार्यपद्धति प्रभारों के स्तरों की आकलन करेगी तथा सुनिश्चित करेगी कि इस क्षेत्र के विकास की दिशा योजनाओं तथा नीतियों के साथ सुसंगत है । यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि प्रभार सेवा प्रदाताओं को उनकी लागतों को वसूलने में समर्थ बनाए, कॉल समापन के साथ सहयोजित अंतरणों को देखे, यह जांच करे कि क्या वे आर्थिक अथवा सामाजिक विकास के परिप्रेक्ष्य से औचित्यसम्मत हैं तथा क्या वे समान प्रतिस्पर्धा क्षेत्र को बनाए रखते हैं।

3. समीक्षाधीन प्रणाली का वर्णन

3.1 अंतरसंयोजन उपयोग प्रभारों का ढांचा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2003 के दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम, 2003 (2003 का 1) के माध्यम से स्थापित किया गया था । ये विनियम मूलतः 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होने थे परंतु ट्राई को अंतरप्रचालक अंतरसंयोजन प्रभारों के निपटान से संबंधित मुद्दों पर परामर्श करना पड़ा जिसके लिए एक परामर्श–पत्र 30 अप्रैल, 2003 को जारी किया गया । इन

मुद्दों का निपटान अनेक बैठकों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं के साथ चर्चा करके किया गया तथा आईयूसी प्रणाली 1 मई, 2003 को लागू की गई । आईयूसी प्रणाली ने कॉलिंग पार्टी पेज (सीपीपी) की प्रणाली की शुरूआत की जोकि भारत में दूरसंचार सेवाओं के तीव्र विकास के लिए कारकों में से संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है।

3.2 अंतरासर्किल एवं अंतरसर्किल तथा साथ ही अंतर नेटवर्क कॉलों के लिए प्रारंभन, कैरिज और समापन विनिर्दिष्ट करने वाली विभिन्न अनुसूचियां इस विनियम की भाग थीं। प्रभार नेटवर्क के उस प्रकार, जिनमें कॉल प्रारंभ और समाप्त हुई तथा सेवा प्रदाता के नेटवर्क में तय की गई दूरी पर आधारित थे। सेल्युअर नेटवर्क के मामले में, प्रभार इस बात पर भी आधारित थे कि क्या गंतव्य नेटवर्क एक महानगर अथवा गैर–महानगर शहर है। समापन प्रभार 15 पैसे से 50 पैसे तथा कैरिज प्रभार 20 पैसे से 1.10 रु0 तक के बीच में दूरी पर आधारित थे । अंतरसंयोजन प्रभार (स्थापना लागतों के लिए देय आवर्ती राशियां अर्थात पोर्ट प्रभार और लीज्ड लाइन प्रभार) "दूरसंचार अंतरसंयोजन (प्रभार और राजस्व साझेदारी) विनियम, 2001 (2001 का 5) द्वारा विनियमित किए जाते रहे।

3.3 उपर्युक्त विनियम के क्रियान्वयन के पश्चात् ट्राई के पास अनेक संप्रेषण प्राप्त हुए जिनमें टैरिफ प्रणाली तथा आईयूसी प्रणाली, दोनों के ही विषय में समस्याओं को इंगित किया गया था। आईयूसी प्रणाली में सुधार करने तथा उसे सरल और कारगर बनाने के लिए प्राधिकरण ने एक और परामर्श–प्रक्रिया आयोजित करने का निर्णय लिया तथा "आईयूसी मुद्दों " पर एक परामर्श–पत्र 15 मई, 2003 को जारी किया गया। परामर्श प्रक्रिया को पूरा किए जाने के पश्चात् दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 के "दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) द्वारा एक संशोधित आईयूसी प्रणाली अधिसूचित की गई जिससे पूर्व के विनियमों का अधिक्रमण किया गया था जो 1 फरवरी, 2004 से प्रभावी हुई। इसका उद्योग द्वारा पर्याप्त स्वागत किया गया तथा यह उद्योग के विकास एवं टैरिफ में कमी में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। वर्तमान में दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 का आईयूसी विनियम ही प्रधान विनियम है।

3.4 प्राधिकरण ने दिनांक 17 मार्च, 2005 के अपने परामर्श–पत्र के आधार पर आईयूसी प्रणाली की एक और पुनरीक्षा की। इस परामर्श–पत्र में, विशेष रूप से, अनेक मुद्दों को शामिल किया गया था, जिनमें अन्य बातों के अलावा अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (कैरिज और समापन), राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कॉलों के लिए संभावित भिन्न समापन प्रभार आदि शामिल थे। प्राधिकरण ने, सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया का अनुपालन करने तथा उद्योग के साथ चर्चा करने के उपरांत 23 फरवरी, 2006 को संशोधित आईयूसी प्रणाली अधिसूचित की जोकि 1 मार्च, 2006 से क्रियान्वित की गई। इस विनियम में, प्राधिकरण ने कैरिज प्रभारों पर सीलिंग लगाने का निर्णय लिया जबकि अन्य आईयूसी अवयवों को उन कारणों से समान बनाए रखने का निर्णय लिया जो विनियम के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गए हैं।

3.5 23 फरवरी, 2006 की अपनी समीक्षा में, प्राधिकरण ने नोट किया कि परियात की बढ़ी हुई मात्रा के कारण समापन प्रभार, विशेषतः मोबाइल सेवाओं के लिए, विनिर्दिष्ट

प्रभारों से कम होने चाहिए । प्राधिकरण ने यह आकलन भी किया तथा पाया कि मोबाइल समापन प्रभार तथा फिक्स समापन प्रभार 0.30 रु0 प्रति मिनट के वर्तमान निर्दिष्ट स्तर की तुलना में कम हो सकते हैं । इसके बावजूद, प्राधिकरण ने फिक्स्ड तथा मोबाइल समापन प्रभारों को मुख्य रूप से फरवरी, 2006 के आईयूसी विनियम के पैरा 58 और 59 में दिए गए कारणों से वही बनाए रखने का निर्णय लिया ।

3.6 इस परिवर्तन ने प्रचालकों को लंबी दूरी के टैरिफों को कम करने का मजबूत आधार प्रदान किया तथा इससे लंबी दूरी के नेटवर्कों को अधिकाधिक प्रयोग का मार्ग भी प्रशस्त हुआ । 23 फरवरी, 2006 के विनियम के अधीन अधिसूचित प्रणाली के पष्चात बीएसएनएल द्वारा वन इंडिया स्कीम की घोषणा की गई। इसके पश्चात, एमटीएनएल द्वारा फिक्स्ड लाइन सब्सक्राइबरों के लिए दिल्ली और मुंबई के बीच की एसटीडी कॉलों के लिए स्थानीय कॉलों की दर की पेशकश की गई। कुछ निजी सेवा प्रदाताओं ने भी ऐसे ही टैरिफ प्लानों की घोषणा की।

3.7 आईयूसी के घटक

विद्यमान अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) प्रणाली कॉलों के प्रारंभन, संप्रेषण तथा समापन के लिए दूसरे सेवा प्रदाता के नेटवर्क अवयवों को प्रयोग करने के लिए एक सेवा प्रदाता द्वारा एक या अधिक सेवा प्रदाताओं को अदा किए जाने वाले प्रभारों का निपटान करती है। एक कॉल के तीन भाग होते हैं –प्रारंभन, कैरिज/संप्रेषण और समापन जोकि तद्नुरूपी प्रभारों में वृद्धि करते हैं ।

3.7.1 प्रारंभन प्रभार

प्रारंभन सेवा प्रदाता को कैरिज/संप्रेषण तथा समापन के लिए प्रभारों का भुगतान करने के पश्चात अवशिष्ट राशि के रूप में प्रारंभन प्रभार रखने की अनुमति है। विद्यमान विनियमों के अनुसार प्रारंभन प्रभार प्रविरत है।

3.7.2 समापन प्रभार

समापन सेवा प्रदाता, जिसके नेटवर्क का प्रयोग किसी दूरसंचार संदेष की समाप्ति के लिए किया जाता है, को उसके नेटवर्क के प्रयोग करने के लिए भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है। साधारण शब्दों में, वह सेवा प्रदाता, जिसके नेटवर्क से कॉल प्रारंभ होती है, उस सेवा प्रदाता को समापन प्रभारों का भुगतान करता है, जिसमें नेटवर्क में कॉल समाप्त हुई है।

विद्यमान विनियमों के अनुसार, सभी प्रकार की कॉलों अर्थात स्थानीय, राष्ट्रीय लंबी दूरी तथा अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों के लिए 0.30 रु0 प्रति मिनट की दर से समान समापन प्रभार निर्दिष्ट किए गए हैं ।

3.7.3 भारत के भीतर लंबी दूरी की कॉलों के लिए कैरिज प्रभार

1 फरवरी, 2004 से 28 फरवरी, 2006 तक प्रचलित कैरिज प्रभार

29 अक्तूबर, 2003 में, आईयूसी की कवायद के अनुसार लंबी दूरी के कैरिज के लिए लागत आधारित प्रभारों का आकलन 0 से 50 किमी, 50+ से 200 किमी., 200+से 500 किमी. तथा 500 किमी से अधिक के दूरी स्लैबों के लिए क्रमशः 0.21 रु0, 0.65 रु0, 0.85 रु0 तथा 0.94 रु0 प्रति मिनट किया गया था । इन लागतों का आकलन बीएसएनएल के आंकड़ों के आधार पर किया गया, जोकि एक एकीकृत प्रचालक है। इस बात पर विचार करते हुए कि स्टैंड एलोन प्रचालकों के लिए प्रासंगिक लागतें अधिक होंगी, आईयूसी विनियम में कैरिज प्रभारों को अंतिम दो दूरी की श्रेणियों के लिए कुछ उच्च स्तरों पर निर्दिष्ट किया गया: वे दूसरी उच्चतम दूरी श्रेणी के लिए लगभग 10 प्रतिशत अधिक हैं तथा उच्चतम दूरी श्रेणी के लिए लगभग 20 प्रतिशत अधिक हैं। भारत के भीतर लंबी दूरी की कॉलों के लिए कैरिज प्रभार, जैसाकि 29 अक्तूबर के आईयूसी विनियम में निर्धारित किया गया है, उक्त संदर्भित स्लैबों के लिए 0.21रु0, 0.65 रु0, 0.90 रु0 तथा 1.10 रु0 प्रति मिनट हैं । उक्त निर्दिष्ट कैरिज प्रभारों पर, सेवा प्रदाताओं को 50 किमी से अधिक दूरी पर लंबी दूरी की कॉलों के कैरिज प्रभारों के +1/−10 प्रतिशत के भीतर स्पॉट वैल्यू पर मोलभाव करने की अनुमति दी गई ।

1 मार्च, 2006 से अभी तक के कैरिज प्रभार

प्राधिकरण ने अपने 23 फरवरी, 2006 के विनियम में कैरिज प्रभारों की समीक्षा की । पणधारकों की पुरजोर राय यह थी कि प्राधिकरण को कैरिज प्रभारों को निर्धारित करना जारी रखना चाहिए तथा इसे कम–से–कम एक सीलिंग प्रकार के रूप में विनियमित करना चाहिए। पणधारकों द्वारा दी गई विभिन्न टिप्पणियों तथा इसके स्वयं के विष्लेशण के आधार पर प्राधिकरण ने वर्ष 2003 में शुरु की गई स्लैब आधारित विनिर्दिष्ट कैरिज प्रभारों की प्रणाली से हटकर ऐसी सीलिंग आधारित प्रणाली अपनाई जिसमें सीलिंग को 0.65 रु0 प्रति मिनट के रूप में निर्दिष्ट किया गया था।

यह नोट किया जाए कि दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 के आईयूसी विनियमों में कैरिज प्रभारों का आकलन केवल बीएसएनएल के लागत आंकड़ों के आधार पर किया गया था तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्टैंड लोन प्रचालकों में लिए प्रासंगिक लागतें अधिक होंगी, आईयूसी विनियम में कैरिज प्रभारों को अंतिम दो दूरी की श्रेणियों के लिए कुछ उच्च राशियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया था । 23 फरवरी, 2006 के विनियम में सीलिंग विनिर्धारित करते हुए प्राधिकरण ने उस समय, प्रचलित एनएलडीओ के कैरिज की भारित औसत लागत पर 25 प्रतिशत का मार्क–अप प्रदान किया था ।

3.7.4 अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी कॉलों के लिए कैरिज प्रभार

अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कैरिज प्रभार तथा विदेशी छोर पर समापन का निपटान आईएलडीओ तथा विदेशी कैरियरों के बीच किया गया। 29 अक्तूबर, 2003 के आईयूसी विनियम की अनुसूची II के खंड (ग) के अनुसार ये प्रभार प्रविरत हैं।

3.7.5 अंतरा–एसडीसीए ट्रांजिट प्रभार

प्राधिकरण ने निम्नलिखित शर्त के अध्यधीन अंतरा–एसडीसीए कॉलों के लिए ट्रांजिट प्रभारों के लिए स्थगन की नीति अपनाई है :

"एक्सेस प्रदाताओं के मध्य प्रत्यक्ष अंतरसंयोजन अनिवार्य है। अंतरा–एसडीसीए ट्रांजिट के अपवादस्वरूप मामलों के लिए, प्रचालक पारस्परिक बातचीत के माध्यम से प्रभारों पर निर्णय ले सकते हैं तथा यह 0.20 रु0 प्रति मिनट से कम होना चाहिए।"

3.7.6 स्तर II टीएएक्स पीओआई से एसडीसीए तक के लिए ट्रांजिट कैरिज प्रभार

वर्तमान विनियामक ढांचे के अनुसार, सभी प्रचालकों से बीएसएनएल की फिक्स्ड लाइनों तक अंतरासर्किल मोबाइल परियात को बीएसएनएल के फिक्स्ड नेटवर्क में स्तर II टीएएक्स पर सौंपा जा रहा है । स्तर II टीएएक्स से एसडीसीए स्तर का परियात बीएसएनएल द्वारा ले जाया जा रहा है जिसके लिए बीएसएनएल मोबाइल सेवा प्रदाताओं से प्रति मिनट 20 पैसे का विनियमित प्रभार उद्भूत करता है । यदि यह सौंपा जाना किसी अन्य टीएएक्स स्तर पर है, तो प्रासंगिक कैरिज प्रभार का भुगतान अवश्य किया जाएगा।

4. समीक्षा प्रक्रिया

4.1 आईयूसी प्रभारों के नियतन में अनेक कारकों को ध्यान में रखा गया है जो वर्तमान में प्रभावी हैं । बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, सब्सक्राइबरों की संख्या में भारी वृद्धि तथा टैरिफ मे कमी के कारण कॉलिंग पैटर्न, कुल परियात तथा इसके प्रसार में भी बदलाव आए हैं । इसके संघटकों में अधोगामी एवं उच्चगामी संचालन सेवा प्रदान करने की लागत में परिवर्तन लाता है। इसके अलावा, नीति में परिवर्तन तथा विनियामक परिवेश में बदलाव भी इन प्रभारों में से किसी न किसी पर प्रभाव डाल सकता है। निष्क्रिय अवसंरचना साझेदारी ने सेवा प्रदाताओं की कैपेक्स/ओपेक्स संरचना में परिवर्तन किया है। नए लाइसेंस का जारी होना तथा नई कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आबंटन उनके प्रचालनों की व्यवहार्यता के संदर्श के आधार पर क्षेत्र में पूंजी का संचार कर देगा। प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप परियात को और अधिक कार्यकुशलता से निपटानों की बाध्यता का समावेश हो रहा है। अपने नेटवर्कों को कैपेक्स एवं ओपेक्स तक कम करने की होड में अधिक से अधिक सेवा प्रदाता इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) को अपना रहे हैं तथा संभवतः वे एनजीएन में अंतरित होने की तैयारियां कर रहे हैं। सरकारी इंकम्बेंट्स ने 3जी सेवाएं प्रारंभ कर दी है। प्रासंगिक स्पेक्ट्रम का आबंटन तथा इसके पश्चात अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा 3जी सेवाओं की शुरुआत की जा रही है। अतः यह विचार करना आवश्यक हो गया है कि ये परिवर्तन आईयूसी को किसी प्रकार प्रभावित करेंगे।

4.2 प्राधिकरण इस बात से पूरी तरह अवगत है कि आईयूसी की पुनरीक्षा एक कठिन प्रक्रिया है जिसमें इसके संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के लिए पणधारकों के साथ नजदीकी संपर्क आवश्यक है। अतः प्राधिकरण ने यह उपयुक्त समझा कि सेवा प्रदाताओं के साथ दो–चरणीय परामर्श प्रक्रिया में चर्चा की जाए। यह निर्णय लिया गया कि सेवा प्रदाताओं के साथ

दो–चरणीय परामर्श प्रक्रिया में चर्चा की जाए। यह निर्णय लिया गया कि सेवा प्रदाताओं के साथ एक प्रारंभिक व्यापक परामर्श प्रक्रिया आरंभ की जाए तथा उसके बाद एक खुला सार्वजनिक परामर्श किया जाए। प्रारंभिक परामर्श दिनांक 12.09.2008 के संप्रेषण 409–12/2008 एफएन द्वारा किया गया जिसमें बल दिया गया कि आईयूसी प्रणाली बहु–उद्देश्यों की पूर्ति करती है। यह संसाधन उपयोग को प्रोत्साहित करती है, अंतर प्रचालक निपटानों को निश्चितता प्रदान करती है और अंतरसंयोजन करारों को सुकर बनाती है, विकास, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा की अपेक्षित नीतियों के क्रियान्वयन में सहायता करती है । सेवा प्रदाताओं को समीक्षा के लिए मूलभूत सिद्धांतों, समीक्षा किए जाने वाले अवयवों, आकलन की पद्धति एवं प्रत्येक प्रभार के स्तर तथा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण/मॉडल/कार्यपद्धति पर टिप्पणियां करने के लिए कहा गया था। उन्हें कहा गया था कि वे लागतों, परियात तथा राजस्व पर आंकड़े प्रदान करें जिनका प्रयोग उपयुक्त परिणामों तक पहुंचने के लिए किया जाएगा तथा साथ ही विस्तार से अपने पूर्वानुमानों को भी बताएं जिनमें लागत के आकलनों को रेखांकित किया गया हो। विभिन्न सेवाओं के लिए निपटान किए गए आवक और जावक मिनटों (ऑफ–नेट और ऑन–नेट, अलग–अलग) की कुल संख्या, परियात संवेदी नेटवर्क अवयवों की पहचान तथा प्रत्येक सदृश नेटवर्क अवयव के लिए प्रयोग के प्रासंगिक मिनटों के लिए भी अनुरोध किया गया था। सामान्य प्रतिक्रिया आईयूसी प्रणाली के सभी अवयवों की समीक्षा करने के पक्ष में थी। तथापि, कार्य–पद्धति और प्रभारों के सही स्तर पर राय में मतभेद था। अधिकांश प्रचालकों ने नेटवर्क वास्तुशिल्पीय विवरण तथा परियात आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए। पूर्व–परामर्शों के दौरान प्राप्त टिप्पणियों को परामर्श–पत्र तैयार करने के लिए ध्यान में रखा गया जिसे पूर्व–परामर्श की प्रक्रिया के बाद जारी किया गया तथा विकल्पों का मूल्यांकन करते समय भी इस बात पर विचार किया गया ।

4.3 सीओएआई की ओर से स्पेक्ट्रम वैल्यू पार्टनर्स द्वारा एक प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें उन्होंने एच–एफएलएलआरआईसी मॉडल को विस्तार से प्रस्तुत किया। ऑस्पी द्वारा एक और प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें उन्होंने सीओएआई द्वारा प्रस्तावित मॉडल के बारे में आपत्ति दर्शाई तथा पहले से ही स्थापित मॉडल को जारी रखने के लिए भी कहा ।

4.4 दिनांक 31.12.2008 को एक विस्तृत परामर्श–पत्र जारी किया गया। परामर्श पत्र में सभी अंतरसंबंधित मुद्दों का विस्तार से वर्णन किया गया था, जिसमें शामिल थे – आईयूसी के किस अवयव की पुनरीक्षा की जाए, विषय समापन प्रभार के लिए औचित्य, आईयूसी अवयवों के आकलन के लिए कार्य–पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉल के लिए उच्च समापन प्रभार, 3जी, डब्ल्यूआई–मैक्स जैसे भविष्य के विकासों का ध्यान रखने के लिए सुझाव, आदि। पणधारकों को प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए 30.01.2009 तक का समय दिया गया। 23 पणधारकों ने जिसमें 13 सेवा प्रदाता, 3 संघ तथा 7 उपभोक्ता समूह और जनता के सदस्य थे, अपनी लिखित टिप्पणियॉं भेजी जिन्हें ट्राई की वेबसाइट पर डाला गया । 12.02.2009 को दिल्ली में ओपन हाउस चर्चा की गई।

4.5 दिल्ली में ओपन हाउस चर्चा के पश्चात, विद्यमान तथा नए प्रचालकों के सीईओ एवं वरिष्ठ कार्यपालकों को यह अवसर प्रदान किया गया कि वे महत्वपूर्ण समझे जाने वाले किसी अन्य मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करें। इन कंपनियों द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरणों को

वेबसाइट पर डाला गया है। व्यक्त किए गए विचारों को आईयूसी की पुनरीक्षा में ध्यान में रखा गया है।

4.6 दूरसंचार क्षेत्र के विषय के महत्व, परामर्श–पत्र द्वारा सृजित रुचि तथा इस अवधि के दौरान पणधारकों द्वारा भेजे गए विभिन्न संप्रेषणों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने हैदराबाद में 26.02.2009 को ओपन हाउस चर्चा के द्वितीय चरण को आयोजित करने का निर्णय लिया। पणधारकों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दों का स्पष्टीकरण देने के लिए उन्हें एक प्रस्तुतिकरण दिखाया गया। उन्हें अपनी टिप्पणियां करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। इस प्रस्तुतिकरण की एक प्रति ट्राई की वेबसाइट पर भी डाली गई।

4.7 प्राधिकरण ने लिखित प्रारंभिक परामर्शों, परामर्शों अथवा अन्यथा, द्वारा उपलब्ध कराए गए अथवा ओपन हाउस चर्चाओं और प्रस्तुतिकरणों में अधिगम पणधारकों की विभिन्न टिप्पणियों को ध्यान में रखा है । प्राधिकरण ने तुलन–पत्र, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखांकन पृथकीकरण रिपोर्ट आदि जैसे आउटपुटों का भी प्रयोग किया है, जिन तक इसकी पहुंच थी तथा मामले का विस्तारपूर्वक विश्लेशण किया है। निम्नलिखित पैराओं में परामर्श पत्र में उठाए गए प्रत्येक मुद्दे की पणधारकों की टिप्पणियों के आलोक में समीक्षा की गई है। स्पष्टता की दृष्टि से पणधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को तिरछी टाइप में दिया गया है तथा उसके पश्चात उस मुद्दे पर प्राधिकरण का विचार दिया गया है।

4.8 कुछ सेवा प्रदाताओं तथा संघों ने सुझाव दिया है कि प्राधिकरण इस मुद्दे पर विचार–विमर्श करने तथा इस पर निर्णय लेने के लिए संयुक्त उद्योग कार्यकारी समूह अथवा एक विषय–निर्वाचन समिति गठित करने पर विचार करे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह और भी महत्वपूर्ण है कि आईयूसी की समीक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा यह दृष्टिकोण अपनाया जाए क्योंकि महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मुद्दों पर विचार किया जाना है। आईयूसी का मुद्दा हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है और इसका प्राधिकरण द्वारा अत्यंत गंभीरता के साथ लिया गया है। न केवल पणधारकों के साथ परामर्श की स्थापित पद्धति को क्रियान्वित किया गया है बल्कि परामर्श प्रक्रिया भी विविधतापूर्ण तथा व्यापक रही है। पूर्व–परामर्श, परामर्श तथा ओपन हाउस स्तरों पर सेवा प्रदाताओं तथा संघों के साथ निरंतर विचार–विमर्श किया गया। इसके अलावा, संघों तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुतिकरण किए गए और ट्राई में उच्चतम स्तर पर विचार–विमर्श किया गया। अतः प्राधिकरण की यह राय है कि किसी कार्यकारी समूह को स्थापित करने से उलझन ही पैदा होगी और उद्योग में अनिश्चितता पैदा होगी।

4.9 तथ्य यह है कि सेवा प्रदाताओं ने अपने स्वयं के वाणिज्यिक हितों के लिए समापन प्रभारों की व्यापक श्रृंखला का प्रस्ताव किया है जोकि नकारात्मक एमटीसी, बिल एवं कीप, कम एमटीसी और अत्यंत उच्च एमटीपी तक हैं, तथा यह आवश्यक नहीं है कि ये विकास को बढ़ावा देने, समान अवसर सृजित करने तथा उपभोक्ता कल्याण से सुसंगत हो सकते हैं। प्रस्तावित पद्धतियां संभव पद्धतियों के समग्र स्पेक्ट्रम को भी कवर करती है, जैसाकि पूर्व के खंडों में वर्णित किया गया है ।

5. परामर्श–पत्र, ओपन हाउस तथा अन्य बैठकों में उठाए गए मुद्दों पर पणधारकों की प्रमुख टिप्पणियों पर विचार

5.1 प्राधिकरण को कई पणधारकों से टिप्पणियां प्राप्त हुईं । पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को ट्राई की वेबसाइट पर डाला गया तथा 12 फरवरी, 2009 को नई दिल्ली में ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई । जैसाकि पूर्व में कहा गया है । कुछ सेवा प्रदाताओं तथा संघों ने इस विषय पर प्राधिकरण को प्रस्तुतिकरण भी प्रदान किए । सेवा प्रदाताओं के साथ ओपन हाउस का दूसरा चरण हैदराबाद में 26 फरवरी, 2009 को आयोजित किया गया जहां पणधारकों के साथ दिल्ली में हुए पूर्व परामर्श से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा की गई जैसे एमटीसी के आकलन के लिए कार्य–पद्धति, संगत ओपेक्स पर पहुचने के लिए ओपेक्स में कुछ मदों की कटौती, लेखांकन पृथक्कीकरण, डाटा की गोपनीयता, मूल्यवर्धित सेवाओं से सृजित राजस्व का निपटान, एसएमएस समापन प्रभार तथा अंतर्राष्ट्रीय आवक कॉलों का समापन । प्राधिकरण ने सभी टिप्पणियों को देखा । उनमें से कुछ पर ओपन हाउस चर्चा में भी चर्चा की गई । निर्णय लेते समय प्राधिकरण ने सभी लिखित टिप्पणियों, ओपन हाउस चर्चा में की गई टिप्पणियों, प्राधिकरण के साथ बैठकों के दौरान किए गए प्रस्तुतिकरण और वीआईपी पत्रों में उठाए गए मुद्दों पर भी विचार किया । परामर्श–पत्र में उठाए गए विशिष्ट मुद्दों पर पणधारकों से प्राप्त कुछ मुख्य टिप्पणियों का सार संबंधित मुद्दे के तहत दिया गया है और उसके बाद वाले पैराओं में उन पर चर्चा की गई है ।

5.2 मुद्दा 1 : पुनरीक्षा किए जाने वाले आईयूसी अवयव

5.2.1 इस मुद्दे पर पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को नीचे सार रूप में दिया गया है तथा उनके बाद आने वाले पैराओं में उन पर चर्चा की गई है ।

(i) किसी संख्या पर पहुंचने के लिए उन सभी अवयवों की लागत संदर्श की दृष्टि से पुनरीक्षा की जानी चाहिए जो उपभोक्ताओं को एंड टैरिफ बनाने के लिए योगदान देते हैं।

(ii) समापन प्रभार, कैरिज प्रभार तथा ट्रांजिट प्रभारों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए ।

(iii) केवल समापन प्रभारों तथा कैरिज प्रभारों की ही वास्तविक लागत आधार पर पुनरीक्षा की जाने की आवश्यकता है । ट्रांजिट प्रभार की पुनरीक्षा किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक अनिवार्य सेवा नहीं है तथा इसे बातचीत के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए ।

(iv) एलडीसीए से एसडीसीए के बीच प्रारंभन प्रभार/कैरिज प्रभार/टीएएक्स ट्रांजिट प्रभार/ट्रांजिट/कैरिज प्रभार तथा समापन प्रभार की पुनरीक्षा की जानी चाहिए ।

(v) प्रारंभन प्रभारों के संबंध में किसी विनियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

(vi) अंतरसंयोजन उपयोग प्रभारों के सभी अवयवों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए ।

(vii) अंतरसंयोजान प्रणाली की पुनरीक्षा औचित्यपूर्ण होनी चाहिए ।

(viii) प्रारंभन प्रभार स्थगन श्रेणी में बना रहना जारी रखा जाना चाहिए ।

(ix) कॉलिंग कार्ड जैसी सेवाओं के संबंध में प्रारंभन प्रभार अंतरसंयोजनों को समर्थ बनाने के लिए अधिदेशित किए जाने चाहिए ।

(x) आईएलडी/एनएलडी कॉलिंग कार्डों, एलडीसीए तथा एसडीसीए के बीच कैरिज प्रभार, अंतरसंयोजन की लागत तथा अंतरप्रचालन ट्रांजिटिंग के विशेष संदर्भ में समापन प्रभार/ट्रांजिट प्रभार आरंभन प्रभार की समीक्षा की जानी चाहिए ।

(xi) प्रारंभन, समापन, पोर्ट प्रभारों तथा अन्य प्रभारों आदि की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता है । कैरिज प्रभार सीलिंग की भी पुनरीक्षा की जानी चाहिए । तथापि, विद्यमान सीलिंग को बनाए रखा जाना चाहिए ।

(xii) लागत के आधार पर समापन और प्रारंभन प्रभार को अधिदेशित किए जाने की आवश्यकता है ।

(xiii) समापन, कैरिज, ट्रांजिट तथा पोर्ट प्रभारों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए ।

(xiv) एमटीपी, एफटीसी, आवक आईएलडी समापन प्रभारों, कैरिज प्रभारों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए ।

5.2.2 पूर्व–परामर्शों तथा परामर्शों के दौरान, दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 के प्रधान विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी अवयवों की पुनरीक्षा करने के बारे में पुरजोर समर्थन था ।

5.2.3 कुछ पणधारकों ने आईयूसी पुनरीक्षा के भाग के रूप में पोर्ट प्रभारों की पुनरीक्षा के लिए कहा है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि पोर्ट प्रभार प्राधिकरण द्वारा 28 दिसम्बर, 2001 को जारी तथा 02 फरवरी, 2007 को संशोधित 'दूरसंचार अंतरसंयोजन (पोर्ट प्रभार) विनियम, 2001' नामक एक अन्य विनियम के अध्यधीन हैं। पोर्ट प्रभारों के आकलन में, पोर्टों के प्रावधान हेतु केवल वर्धित केपेक्स को ध्यान में रखा गया था । हालांकि, पोर्ट प्रदान करने के लिए न केवल स्विच क्षमताओं के, बल्कि इन पोर्टों के माध्यम से नेटवर्क में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त ट्रैफिक का निपटान करने के लिए नेटवर्क के डाउनस्ट्रीम भागों के भी संवर्धन की आवश्यकता है। चूंकि पोर्ट प्रभार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार प्रणाली का भाग कभी नहीं रहे हैं, प्राधिकरण की राय है कि पोर्ट प्रभारों को पोर्ट प्रभारों पर विनियम के अनुसार ही संचालित किया जाना जारी रखा जाना चाहिए तथा इन्हें आईयूसी के साथ विलयित नहीं किया जाना चाहिए ।

5.2.4 कुछ सेवा प्रदाताओं ने आईयूसी प्रणाली के भाग के रूप में कॉलिंग कार्डों के माध्यम से की गई कॉलों के लिए प्रारंभन प्रभारों के अवधारण का भी प्रस्ताव किया है। सामान्य वॉयस कॉलों तथा एनएलडी एवं आईएलडी प्रचालकों द्वारा जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित कॉलिंग कार्डों के माध्यम से कॉलों के बीच सैद्धांतिक अंतर है । कॉलिंग कार्डों के मामले में, सेवा प्रदाता द्वारा धनराशि कार्ड जारी करके संग्रहित की जाती है जबकि कॉलें किसी एक्सेस प्रदाता के नेटवर्क से प्रारंभ होती है जोकि इन कॉलों के लिए ग्राहकों को बिल नहीं देते हैं। एक्सेस प्रदाताओं को सेवा प्रदाताओं द्वारा कार्डों को जारी करके परस्पर सहमत दरों के माध्यम से अथवा विनियमितओं के माध्यम से प्रतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि कॉलिंग कार्डों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं का निपटान इंटेलीजेंट नेटवर्क सेवा विनियम दिनांक 27.11.2006 द्वारा किया जा रहा है अतः यह निर्णय लिया कि प्राधिकरण मूल एक्सेस प्रदाता को अदा किए जाने वाले प्रारंभन प्रभार

के निर्धारण के लिए आईएन विनियमों के माध्यम से उपयुक्त अवस्था और समय पर हस्तक्षेप करेगी, जब लंबी दूरी की कॉलें और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा कॉलिंग कार्डों के माध्यम से एनएलडीओ और आईएलडीओ द्वारा प्रारंभ की गई हों।

5.2.5 फिक्स्ड और मोबाइल वॉयस कॉलों के प्रारंभन प्रभार की समीक्षा के संबंध में कुछ सेवा प्रदाताओं ने यह तर्क दिया कि चूंकि बाजारी शक्तियां अच्छा काम कर रही हैं और सेवा वहनीय है इसलिए किसी विनियामक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है और प्रविरत की वर्तमान शर्त को जारी रखा जाए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रारंभन को प्रविरत रखने से मूल प्रचालक को अन्य अनिवार्य आईयूसी प्रभार अदा करने के बाद अवशिष्ट राशि को बनाए रखने में सहायता मिलती है। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि प्रारंभन प्रभार को प्रविरत रखने से सेवा प्रदाताओं को नई टैरिफ प्लान की पेशकश करने की छूट मिलती है। यह बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाने का महत्वपूर्ण कारक है और यह प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में ग्राहक के पक्ष में काम करता है । अतः टैरिफ प्रविरत नीति के मद्देनजर प्राधिकरण ने सामान्य वॉयस कॉल हेतु प्रारंभन प्रभार को प्रविरत रखने का निर्णय लिया।

5.2.6 कुछ सेवा प्रदाताओं ने एसएमएस पर आईयूसी प्रभारों पर चिंता व्यक्त की है। यह नोट किया गया कि इस मुद्दे का निम्न तरीके से पूर्ववर्ती विनियमों में निपटान किया गया है । 29 अक्तूबर, 2003 के आईयूसी विनियम में एसएमएस हेतु आईयूसी को प्रविरत रखा गया था और प्राधिकरण ने यह बताया था कि वह अतिरिक्त डाटा एकत्र करने के आधार पर निकट भविष्य में इस मामले की पुनः समीक्षा करेगा। तदनन्तर, 13.6.2006 को एक परामर्श–पत्र जारी किया गया। परामर्श के आधार पर 21 अगस्त, 2006 को प्राधिकरण का निर्णय जारी किया गया। प्राधिकरण के निर्णय के साथ संलग्न विष्लेषण यहां उद्धृत है :–

"..... इस समय एसएमएस के बाजार में मोबाइल प्रचालक ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जो या तो बिना किसी अंतरसंयोजन प्रभार के बिल एंड कीप प्रणाली चला रहे हैं या उनके पास व्यतिकारी प्रभारण प्रणाली है और अपेक्षाकृत संतुलित परियात है....." इन निष्कर्षों के मद्देनजर प्राधिकरण ने इस मामले में प्रविरत को जारी रखने का निर्णय लिया ।

5.2.7 किसी भी सेवा प्रदाता नेटवर्क में वॉयस हैंडलिंग लागत की अपेक्षा एसएमएस हैंडलिंग में अंतर्ग्रस्त लागत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त, एसएमएस के लिए आईयूसी हेतु लेखांकन में जटिलताएं भी हैं। एसएमएस, एसएस7 सिग्नलिंग चैनल द्वारा भेजा जाता है और आंतरिक रूप से एसएमएस के बिल और उसके समापन के सत्यापन हेतु एक मध्यस्थ प्रणाली की जरूरत है और एसएमएस मैसेज की दर और संख्या की गिनती हेतु बिलिंग प्रणाली हेतु एसएस 7 सीडीआर के सृजन की जरूरत होती है । कई मामलों में समापन प्रचालक को उनके नेटवर्क पर आए मैसेज को एसएमएस की गिनती के रिकार्ड के साथ आपूर्ति हेतु प्रारंभिक प्रचालक पर निर्भर रहना पड़ सकता है । नेटवर्क पर आने वाले एसएमएस की बड़ी संख्या (और बढ़ती हुई) को प्रोसेस करने हेतु बिलिंग प्रणाली को आरोह्य बनाने की जरूरत है । उद्योग में यह प्रथा प्रचलित है कि सेवा प्रदाताओं द्वारा एक–दूसरे से आईयूसी वसूल नहीं किया जा रहा है ।

5.2.8 जीएसएम ग्राहकों द्वारा एसएमएस का अपटेक करना मोबाइल उद्योग की सफलता की कहानी है । साथ ही, इस तथ्य के मद्देनजर कि कुल मिलाकर आज प्रचलित व्यवस्था 'बिल एंड कीप' है तथा यह परस्पर सहमत व्यतिकारी व्यवस्था है, प्राधिकरण यह मानता है कि सेवा प्रदाता एक निष्पक्ष पारदर्शी और गैर–भेदभावपूर्ण तरीके से इस व्यवस्था को जारी रखेंगे। अतः प्राधिकरण ने एसएमएस पर आईयूसी के मामले में प्रविरत नीति को जारी रखने का निर्णय लिया। तथापि, बाजार पर नजर रखने के लिए रिपोर्टिंग की आवश्यकता को इसमें शामिल किया जा रहा है ।

5.2.9 पूर्ववती चर्चाओं के मद्देनजर वर्तमान समीक्षा के माध्यम से निम्न कारकों का निर्धारण किया जाना है :–

(i) फिक्स्ड (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल (3–जी सहित) के लिए समापन प्रभार ।
(ii) भारत के भीतर लंबी दूरी की कॉलों के लिए कैरिज प्रभार ।
(iii) अंतरा एसडीसीए कॉलों और टीएएक्स ट्रांजिट प्रभार हेतु ट्रांजिट प्रभार ।
(iv) लेवल–।। टीएएक्स से एसडीसीसी टेनंडम से ट्रांजिट/कैरिज प्रभार ।
(v) अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग कॉलों के लिए समापन प्रभार ।
(vi) एसएमएस हेतु आईयूसी ।

5.3 मुद्दा–2 – आईयूसी आकलन हेतु क्रियाविधि

5.3.1 इस मुद्दे पर पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों का सार नीचे दिया है और निम्न पैराओं में उन पर विचार किया गया है :–

(i) श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के अनुरूप और सभी संगत लागतों को हिसाब में लेते हुए आईयूसी निर्धारण हेतु हाईब्रिड एफएल–एलआरआईसी मॉडल ।
(ii) फिक्स्ड और मोबाइल के लिए भी वही सिद्धांत लागू किए जाएं ।
(iii) हाईब्रिड एफएलःएलआरआईसी – ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाए जो बॉटम अप से टॉप डाउन तक प्राप्त परिणामों का संतोषण करे
(iv) चूंकि फिक्स्ड लाइन और मोबाइल प्रौद्योगिकी समान सेवा प्रदान करते है। समतुल्य सिद्धांत और क्रियाविधि का प्रयोग करके समापन दर निर्धारित की जाए।
(v) वायरलाइन और वायरलैस नेटवर्क के लिए समापन प्रभार की गणना करने हेतु सीएपीएएक्स और ओपीएएक्स दोनों को हिसाब से लिया जाए।
(vi) ऐतिहासिक लागत के साथ टॉप डाउन लागत दृष्टिकोण अपनाया जाए।
(vii) एलआरआईसी मॉडल या उसके प्रकारों को पारदर्शी रूप से लागू करना काफी कठिन है ।
(viii) किसी एमएनओ के लिए आईयूसी राजस्व सृजन वाला मॉडल नहीं होना चाहिए ।
(ix) वे तत्व जो प्रत्यक्ष रूप से समापन प्रभार या ट्रांजिट को प्रभावित करते हैं, की सीमांत लागत पर विचार किया जाए ।
(x) सभी संगत लागत को हिसाब में लेने के बाद श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के अनुरूप एमटीसी के निर्धारण हेतु हाइब्रिड एफएलःएलआरआईसी मॉडल हो।

(xi) सभी पणधारकों के निवेश और रिटर्न की सहायता हेतु उचित स्तरों पर समापन प्रभार हेतु राजस्व बंटवारा मॉडल हो ।

(xii) वर्तमान लागत क्रियाविधि को जारी रखा जाए ।

(xiii) बिल एंड कीप तथा नेगेटिव एमटीसी इन दो विकल्पों पर विचार किया जाए ।

(xiv) बिल एंड कीप या लागत आधारित प्रणाली हो ।

(xv) एफएल–एफएलआरआईसी मॉडल के साथ–साथ विद्यमान एफएसी मॉडलों के अनुसार प्रभार निकाला जाए तथा इन्कमबेंट प्रचालकों और नए लाइसेंसी हेतु एफएसी के मामले में इन दोनों में से कम वाले को अपनाया जाए (लूप टेलीकॉम)

(xvi) बिल एंड कीप प्रणाली को अपनाया जाए ।

5.3.2 आईयूसी के निर्धारण हेतु दृष्टिकोण पर चर्चा

विनियामकों के आम सिद्धांतों में आर्थिक कार्यकुशलता को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, वृद्धि करना और सेवाओं को वहनीय बनाना शामिल है । अर्थशास्त्री और विनियामक इस पर सहमत हैं कि स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनजर दृष्टिकोण अपनाया जाए और यह लागत पर आधारित हो ताकि सेवा प्रदाताओं को, अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रयुक्त उनके संसाधनों हेतु मुआवजा दिया जा सके । तथापि, मूल्य को लागत से अलग करना मुश्किल है। अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार का अर्थ वे प्रभार हैं जो एक प्रचालक पर दूसरे प्रचालक द्वारा किसी कॉल को शुरू या समाप्त करने हेतु उसके नेटवर्क का उपयोग करने हेतु उस पर थोपी गई लागत की क्षतिपूर्ति हेतु लगाए जाते हैं । अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार अदा करने वाला प्रचालक कॉल को 'प्राप्त' करना है और विवादित तथा अदत्त प्रभारों का जोखिम उठाता है।

5.3.3 कुछ विशेषज्ञ यह महसूस करते हैं कि अंतरसंयोजन के मूल्य निर्धारण के लागत आधारित स्तर का निर्धारण करने का सबसे अच्छा दृष्टिकोण यह है कि संगत सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करने की अग्रणी सोच लागत पर आधारित हो जैसे कि लंबी दूरी की वृद्धि लागत (एलआरआईसी) अथवा उसके विभिन्न प्रभार । इस प्रकार की मंशा वाले सेवा प्रदाताओं का यह तर्क है कि कई अंतर्राष्ट्रीय विनियामक एलआरआईसी मॉडल को अपना रहे हैं चूंकि यह प्रचालनात्मक दक्षता और भावी बाजार विकास की योग्यता प्रदान करता है। इन दृष्टिकोणों को लागू करने की व्यवहारिक सीमाएं हैं। एलआरआईसी का पक्ष न लेने वालों का यह तर्क है कि कतिपय परिस्थितियों में एलआरआईसी पर अंतरसंयोजन मूल्य निर्धारण करना एक व्यावहारिक कारोबार को चलाने हेतु एक नई स्थानीय सेवा के प्रवेशक की अनुमति नहीं देता है। ऐसा तब भी हो सकता है जब सुस्थापित इंक्बेंट कॉल समापन से राजस्व द्वारा टैरिफ में कमी करता है। उनका यह तर्क है कि नए प्रवेशक की अंतरसंयोजन लागत उस खुदरा मूल्य से अधिक हो जाएगी जिसकी वह कुशलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने और स्वयं को स्थापित करने हेतु पेशकश करेगा । उन्होंने एलआरआईसी का समर्थन करने वाले सेवा प्रदाताओं पर वे अवधारणाएं प्रयोग करने का आरोप लगाया जिससे कॉल समापन संबंधी लागत बढ़ जाती हैं ।

5.3.4 एलआरआईसी तथा गैर–एलआरआईसी जैसे दृष्टिकोण अपनाने वाले कई देशों के उदाहरण सामने हैं । ये देश इन दृष्टिकोणों के प्रकारों और रूपांतरणों का उपयोग व्यावहारिक वास्तविकताओं तथा अपेक्षित नीतियों को लागू करने को प्रदर्शित करने हेतु करते हैं । सही दृष्टिकोण का चुनाव प्रचलित परिस्थितियों पर निर्भर करता है और संबंधित विनियामकों को इनका सावधानीपूर्वक आकलन करने की जरूरत होती है । प्रायः संशोधन प्रत्येक प्रचालक को उसके अंतरसंयोजन परिणामी लागत की क्षतिपूर्ति का प्रयास करने वाले विभिन्न दृष्टिकोणों हेतु किया जाता है । यह अधिकतर देश सापेक्ष होता है जिसमें स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है ।

5.3.5 परामर्श प्रक्रिया के दौरान की गई टिप्पणियों का यह अर्थ है कि पणधारक प्रयुक्त की जाने वाली क्रियाविधि संबंधी अपने प्रस्ताव पर एकजुट नहीं है। सभी टिप्पणियों पर ध्यान देने के बाद आमतौर पर निम्न तीन तरीकों का सुझाव दिया गया :–

(i) अग्रिम सोच वाली लंबी दूरी की वृद्धि लागत (एफएलएलआरआईसी)
(ii) बिल एंड कीप (बीएके)
(iii) पूर्णतया आवंटित लागत (एफएसी)

5.3.6 अग्रिम सोच वाली एलआरआईसी (एफएलएलआरआईसी) एक बॉटम–अप दृष्टिकोण है जिसमें नेटवर्क और सेवा उत्पादन प्रौद्योगिकियों के इष्टतम मॉडल का उपयोग करके सेवा लागत की गणना की जाती है । इस विधि में यह माना जाता है कि ऐसी मॉडलिंग में शामिल टीम को अपने साथ के नेटवर्क आयोजना विशेषज्ञों के होने का लाभ मिलता है। दोषपूर्ण आयोजना प्रक्रिया और धारणाओं से दक्षतापूर्ण नेटवर्क का गलत डिजाइन बनेगा और फलस्वरूप गलत लागत निर्धारण और लागत आवंटन होगा। अग्रिम सोच का अर्थ है – ग्राहक की मांग के वर्तमान और भावी पूर्वानुमान पर विचार करके नेटवर्क डिजाइन बनाना। लंबी दूरी की संकल्पना का यह अर्थ है कि समय सीमा काफी अधिक है ताकि सभी लागतों को परिवर्तनशील माना जाए चाहे पूंजी निवेश लागत नेटवर्क क्षमता से संबंधित क्यों न हो। तथापि, लंबी समय सीमा पूर्वानुमानों को कम विश्वसनीय बनाती है। गलत पूर्वानुमानों वाला नेटवर्क गलत परिणाम देगा। सभी एलआरआईसी का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व यह है कि वृद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि आउटपुट का उपयोग लागतोन्मुखी प्रभारों को दिखाने में किया जा सके। बड़ी–वृद्धि यथा – 'एक्सेस' लागत को दर्शाने हेतु आवश्यक जानकारी नहीं देता है जबकि काफी छोटी और विस्तृत स्तर पर वृद्धि को परिभाषित करने की व्यावहारिक और क्रियाविधिपरक सीमाएं हैं इस विधि का लाभ राजसहायता मुक्त मूल्य है चूंकि प्रत्येक ग्राहक अपनी सेवा हेतु भुगतान करता है और यदि पूर्वानुमान और नेटवर्क डिजाइन सही प्रकार से बनाए जाएं तो व्यक्तिगत प्रचालकों की खामियों को छोड़ा जा सकता है। तथापि, ऐसे मॉडल विकसित करना मुश्किल है। इनमें ज्यादा समय लगता है और अधिक विनियामक लागत आती है। ये लेखांकन प्रक्रियाओं पर आधारित नहीं है और इसलिए इसकी लेखा–परीक्षा करना कठिन है ।

5.3.7 कुछ पणधारकों ने हाइब्रिड एफएलएलआरआईसी मॉडल का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा है। 'हाइब्रिड' पहलू में टॉप–डाउन और बॉटम–अप, दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों की गणना शामिल है। फिर इसके परिणामों का मिलान होता है। उसमें

नेटवर्क डिजाइन और विभिन्न संकल्पनाओं पर आधारित होने का परिणाम गलत हो सकता है, इसकी संभावना का भी ध्यान रखा जाता है। इन पणधारकों द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे केवल बॉटम–अप विश्लेषण के थे और अनुरोध करने पर भी टॉप–डाउन परिणाम उपलब्ध नहीं कराए गए। काल्पनिक दक्ष प्रचालक और नए प्रवेशक के लिए मॉडलिंग की गई। इसका परिणाम बिल्कुल भिन्न था। नए प्रचालकों के लिए 'स्क्रोथनोड' एप्रोच का उपयोग करना उपयुक्त नहीं होगा। परिकलन में सीएपीईएक्स और ओपीईएक्स, दोनों को शामिल किया जाएगा जिससे एक प्रचालक की समस्त लागत अंतरसंयोजन वाले प्रचालक को अंतरित हो जाएगी, से नए सेवा प्रदाता को अधिक इनपुट लागत से नुकसान होगा और वंह नई टैरिफ प्लान की पेशकश नहीं कर सकेगा। यह बात इससे स्पष्ट होती है कि यह विधि कई संकल्पनाओं पर आधारित है जिन पर सेवा प्रदाता प्रतिस्पर्धा करेंगे जैसाकि इस मामले में हुआ है। हाइब्रिड एफएलएलआरआईसी मॉडल में एक काल्पनिक नए प्रवेशक की उन सारी लागत को लिया जाता है जिससे समापन प्रभारों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। इन गणनाओं में अतिरिक्त परियात के समापन हेतु वर्तमान सेवा प्रदाता द्वारा खर्च की गई वृद्धि लागत को नहीं दर्शाया जाता है जिसे वास्तव में एलआरआईसी मॉडल हेतु किया जाना था। अवसंरचना, कॉल मिक्स, बाजार हिस्सा आदि की भागीदारी के बारे में इस प्रकार से कल्पना की गई है कि इससे समापन प्रभार अधिक हो जाता है।

5.3.8 यह भी नोट किया गया है कि एलआरआईसी मॉडल या इसके किसी प्रकार को पारदर्शी रूप से लागू करना काफी कठिन है चूंकि इसके लिए एक माइक्रो डाटा/सूचना चाहिए जो विभिन्न सेवा प्रदाताओं से प्राप्त करना व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है। सेवा प्रदाताओं संबंधी यह सूचना भी भिन्न–भिन्न होगी और इसके परिणाम भी काफी भिन्न आएंगे । ये मॉडल काल्पनिक अवधारणाओं पर आधारित हैं और प्राधिकरण द्वारा अपनाए जाने से पहले जिस पर सभी पणधारकों में सहमति होना आवश्यक है । अनुमान में थोड़ी–सी भिन्नता से भी एक विशेष प्रकार के सेवा प्रदाता के बारे में काफी भिन्नता आ जाएगी । इस स्वनिष्ठता और पारदर्शिता की कमी से सारी प्रक्रिया को विवादित बनाने तथा उसे क्षति पहुंचाने का अवसर मिलेगा और इस प्रकार यह सब्सक्राइबरों को अंतरसंयोजन उपयोग प्रभारों के समायोजन का लाभ उठाने से वंचित कर देगा । संघों तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न मॉडलों से यह स्वनिष्ठता काफी स्पष्ट है और इससे कुछ अवधारणा, नेटवर्क वास्तुकला और पूर्वानुमान में परिवर्तन करने से ही समापन प्रभारों में काफी अधिक भिन्न प्रकट होती है ।

5.3.9 पणधारकों के एक अन्य समूह ने भी इस धारणा के साथ इसी मॉडलिंग तकनीक के आधार पर गणना की जो उन पर अधिक लागू हो और परिणाम में पहले के मामले से भारी कमी आई । इन पणधारकों ने एफएलएलआरआईसी के पक्षकारों द्वारा की गई महत्वपूर्ण संकल्पनाओं पर बहस की । नई सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों ने यह दर्शाया कि उनके लिए उपयुक्त अवधारणाओं से कम समापन प्रभार प्राप्त हुए । एक परामर्शदाता ने विभिन्न अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए हाइब्रिड एलआरआईसी मॉडल के आधार पर अपनी रिपोर्ट दी जो पहले समूह द्वारा प्रस्तुत मॉडल की तुलना में कम समापन प्रभार वाली थी । कुछ देशों द्वारा अपनाई गई एलआरआईसी मॉडल का मूल विचार अप्रभावी लागत और अंतरसंयोजन प्रचालक को अंतरित की जा रही अप्रासंगिक लागत को बचाना

है । इस लक्ष्य में यह देखना है कि उपभोक्ता को दूरसंचार उद्योग में हुई वृद्धि का लाभ मिले और उसे किसी भी प्रचालक द्वारा खर्च की गई किसी ऐतिहासिक लागत या अप्रभावी लागत की अदायगी न करनी पड़े । किसी प्रचालक की समस्त लागत को अपने अंतरसंयोजन सेवा प्रदाता को अंतरित करने से अप्रभावी प्रबंध की स्थिति पैदा होगी क्योंकि अंतरसंयोजन सेवा प्रदाता नई टैरिफ प्लान की पेशकश नहीं कर पाएंगे चूंकि समापन प्रभार के रूप में उनकी इनपुट लागत अधिक होगी । इससे वर्तमान प्रचालक की तुलना में नए प्रवेशक हेतु अधिक लागत को हिसाब में लिया जाएगा जिसके लिए नए प्रवेशक और वर्तमान सेवा प्रदाताओं के बीच असममित समापन प्रभार का निर्धारण अपेक्षित होगा जिसका प्राधिकरण समर्थन नहीं करता है ज़ैसाकि संगत पैरा में कहा गया है। अतः एक ऐसे मॉडल का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है जो जटिल, खर्चीला हो और मोबाइल समापन प्रभार की गणना हतु अधिक लाभप्रद प्रतीत न हो। दूसरी ओर, टॉप–डाउन मॉडल जिसमें वार्षिक प्रतिवेदन, सेवा प्रदाताओं की पृथक्करण रिपोर्ट आदि से सामान्य तौर पर समायोजन के आधार पर डाटा लिया गया हो, कम खर्चीला होगा, जांच योग्य होगा और इससे समापन प्रभार को अनुमान लगाने में अधिक अंतर नहीं आएगा।

5.3.10 इन दावों और प्रतिदावों से यह स्पष्ट है कि इस क्रियाविधि के बारे में एकमत होना मुश्किल है । हरेक परिस्थिति के लिए बेहतर या ठीक समाधान नहीं होता है ।

5.3.11 बिल एंड कीप विधि का भी सुझाव दिया गया था । इस विधि में सेवा प्रदाताओं को एक–दूसरे को समापन प्रभार अदा नहीं करना होता है । इसका लाभ यह है कि सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क की लागत को अंतरसंयोजन सेवा प्रदाताओं को अंतरित नहीं करता है और यह कम विनियामक लागत वाला भी है । यदि परियात असंतुलित है या नेटवर्क तैनाती के विभिन्न स्तरों पर सेवा प्रदाता है तो यह विधि काम नहीं करेगी । इससे सेवा प्रदाताओं की उचित क्षतिपूर्ति नहीं होती है और प्रभावी नेटवर्क के विकास में प्रोत्साहन नहीं मिलता है।

5.3.12 बिल एंड कीप विधि के समर्थक यह दावा करते हैं कि इस प्रणाली के अधीन जीरो एमटीसी सर्वाधिक उपभोक्ता तथा प्रतिस्पर्धा हितैषी हैं। उनके अनुसार जीरो एमटीसी प्रणाली डाटा की अस्पष्टता से उत्पन्न सभी विवादों को दूर करेगी, स्वनिष्ठा के जोखिम को कम करेगी तथा भावी आईयूसी प्रणाली साबित होगी। इन सेवा प्रदाताओं ने यह भी कहा कि समापन प्रभार की अदायगी से सेवा प्रदाताओं के पास धनराशि अनावष्यक रूप से ब्लॉक हो जाती है जिसका उपयोग नेटवर्क के विस्तार में किया जा सकता है। इनका यह भी तर्क था कि यह उच्च एमटीसी ऑफ नेट और ऑन नेट टैरिफ के बीच के भारी अंतर होने और उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा करने हेतु उत्तरदायी है।

5.3.13 सेवा प्रदाताओं के बिल एंड कीप प्रस्ताव का विश्लेषण किया गया और यह नोट किया गया कि इसका अर्थ वर्तमान आईयूसी प्रणाली शुरू होने से पहले विद्यमान स्थिति में पहुंचना है अर्थात् इनकमिंग कॉल प्राप्त करने वाली पार्टी को इसके लिए भुगतान करना होगा। विहित आईयूसी प्रणाली के मूल सिद्धांतों में से एक सिद्धांत काम करने का

सिद्धांत है। यह भी नोट किया गया कि आईयूसी प्रणाली से पहले टैरिफ काफी अधिक था। सेवा प्रदाता कॉलें प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के सब्सक्राइबरों को प्रभारित करना अथवा सेवाएं प्रदान करने के लिए नियत प्रभारों में वृद्धि करना पुनःशुरू कर देंगे । चूंकि सेवा प्रदाताओं को अन्य सेवा प्रदाता के नेटवर्कों में कॉलों के समापन के लिए भुगतान करना होगा, वे फ्री कॉलों वाले प्लानों की पेशकश करेंगे जो दूसरे सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क को बोझिल बना सकती हैं । बिल एंड कीप प्रणाली भी कॉल समाप्ति दर को कम करेगी क्योंकि समापन नेटवर्क को कॉल को पूरा करने का कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। जैसाकि सेवा प्रदाताओं द्वारा एसएमएस आदि के मामले में प्रदान किए गए टैरिफ से स्पष्ट है, यह आवश्यक नहीं है कि बिल एंड कीप स्कीम टैरिफों को कम करेगी।

5.3.14 सेवा प्रदाताओं द्वारा बताया गया तीसरा सुझाव पूर्णतया आवंटित लागत (एफएसी) का प्रयोग करना था जो उस लागत को विभाजित करता है, जो फर्म इसके द्वारा बेची गई सेवाओं को उपगत करती है। इस पद्धति में सरलता का लाभ है। यह सेवा प्रदाताओं द्वारा उनके तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खातों तथा लेखांकन पृथकीकरण रिपोर्टों में प्रस्तुत किए गए लेखांकन आंकड़ों का प्रयोग करता है। इन परिणामों की आसानी से लेखापरीक्षा की जा सकती है। यदि मॉडलिंग को समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जाता है, तो प्रचालकों की अपर्याप्तता का समावेश हो सकता है। विश्लेषण में अग्रदर्शी अवयव लाने के लिए ऐतिहासिक अथवा लागू लागतों पर प्रक्षेपणों का प्रयोग करना संभव है।

5.3.15 विनियामकों को अनेक कारणों से अंतरसंयोजन विनियम के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाने के बारे में औचित्यपूर्ण बनने की आवश्यकता है। किसी विस्तृत अग्रदर्शी लागत प्रणाली की प्रत्यक्ष विनियामक लागतें उल्लेखनीय हो सकती है: सेवा प्रदाता अपने दृष्टिकोणों को रखने के लिए इंजीनियर, अर्थशास्त्री तथा अधिवक्ताओं को रख सकते हैं; विनियामक को लागत के बारे में प्रतिस्पर्धी दावों का आकलन करने के लिए पर्याप्त संसाधन रखना चाहिए। चूंकि प्रणालियों में जटिलता बढ़ती है, प्रचालकों तथा संभावित प्रवेशकर्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं को वास्तविक नई सेवाओं की पेशकश करने के स्थान पर माध्यस्थम अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना अधिक है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि विस्तृत लागत अनुमान दृष्टिकोण सटीक होंगे। ऐसी कोई पद्धति नहीं है जो सभी स्थितियों में प्रधानता का दावा कर सके। अतः यह आवश्यक है कि विनियामक को देश में विद्यमान स्थिति पर आधारित लागत कार्य–पद्धति तथा दृष्टिकोण का निर्णय लेना चाहिए। यदि कोई ऐसा दृष्टिकोण सुस्थापित हो और वह अच्छा कार्य करे तो अगली समीक्षा में इसे बदलने हेतु और अधिक प्रेरणा मिलेगी । यदि संदर्श मानकों और अनुमानित दक्षता पैरामीटरों पर आधारित कार्यविधि में कोई बड़ा फेरबदल किया जाता है तो सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस भी नेटवर्क की स्थिरता को तर्कसंगत ठहराएंगे ।

5.3.16 भारत में ट्राई ने ऐसी आईयूसी प्रणाली निर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण समझा जो अंतर प्रचालक निपटानों को निश्चिंतता प्रदान कर सके और अंतरसंयोजन करारों को सुकर बना सके। प्रासंगिक अधिसूचनाओं में ट्राई ने ऐसे नीतिगत ढांचे पर बल दिया है जो

निम्न घरेलू मल्यों को प्रोत्साहित करे तथा एक मजबूत सब्सक्राइबर वृद्धि को बढावा दे। इन दोनों उद्देश्यों के संबंध में प्राधिकरण के अपेक्षाएं पश्चातवर्ती अवधि में वैध हुई हैं। भारत वर्तमान में, विश्व में सबसे सस्ते मोबाइल कॉल प्रभारों वाले देशों में से है। इसी प्रकार, भारत में मोबाइल सब्सक्राइबर आधार की मासिक वृद्धि उच्चतम है, तथा मूल्यों में गिरावट ने ऐसी वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

5.3.17 ट्राई द्वारा जनवरी 2003 के आईयूसी विनियम तथा वर्तमान में प्रचलित अक्तूबर 2003 के विनियमों में प्रयुक्त कार्य–पद्धति का वर्णन इन विनियमों में विस्तार से किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु यहां दिए गए है। ।

5.3.18 जनवरी 2003 में प्रथम विनियम को तैयार करने के दौरान, प्रॉक्सी मॉडल पर आधारित बॉटम–अप पद्धति का प्रयोग करते हुए आकलन का प्रयास किया गया था। इसके पश्चात, बीएसएनएल की लागतें उपलब्ध हुईं परंतु जब इनकी तुलना बीएसएनएल द्वारा उपगत व्यय से की गई, तो इन्हें उच्च पाया गया और इन्हें विचार – विमर्श के बाद भी संकलित नहीं किया गया। तुलन – पत्र तथा वार्षिक रिपोर्ट ने आंकड़ों का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराया तथा टॉप–डाउन दृष्टिकोण को अपनाने का निर्णय लिया गया। लेखापरीक्षित बीएसएनएल आंकड़ों से लिए गए कैपेक्स, ओपेक्स, मूल्यह्रास का प्रयोग विभिन्न प्रभारों का अवधारण करने के लिए किया गया। समग्र कैपेक्स तथा ओपेक्स को नेटवर्क के विभिन्न भागों में अनुपात में आवंटित किया गया जैसाकि बीएसएनएल द्वारा संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव अनुसूचियों में लागत डाटा के लिए किया गया था। विभिन्न नेटवर्क अवयवों से संबंधित प्रयोग के मिनटों पर डाटा को लिया गया था, जैसाकि बीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बुनियादी सेवाओं के किराए के घटक को एडीसीसी टैंडम तथा लाइसेंस शुल्क के औसत राजस्व भाग और स्पेक्ट्रम प्रभार तक नेटवर्क खंड के लिए कैपेक्स के आधार पर आकलित किया गया था। स्थानीय कॉल प्रभारों का आकलन औसत एमओयू के आधार पर वितरित समान खंड के ओपेक्स आधार पर किया गया था। **ट्रांजिट** के लिए आईयूसी किसी कॉल के कैरिज के लिए प्रयुक्त खंड के कैपेक्स और ओपेक्स के योग पर आधारित था। **समापन प्रभार** अग्रदर्शी थे चूंकि वे एक वर्ष के लिए अनुमानित वृद्धि दर पर आधारित थे। मोबाइल समापन प्रभारों के लिए, लागतें 25 सर्किलों/मेट्रो सेल्युलर प्रचालकों के ओपेक्स डाटा पर आधारित थी, जिन्हें लेखापरीक्षित वार्षिक खाते से लिया गया था। अपात्र घटकों जैसे बट्टे खाते, पेजिंग डिवीजन का बंद होना, नियत परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटा/लाभ को बाहर कर दिया गया था। राजस्वों पर आधारित लाइसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम प्रभार को अलग से जोड़ा गया था। प्रति लाइन ओपेक्स का आकलन अनुमानित एमओयू प्रति सब्सक्राइबर प्रतिमाह के आधार पर किया गया था। विपणन और विज्ञापन लागतों का केवल 50 प्रतिशत ही कॉल मिनटों के लिए लिया गया था जबकि शेष को राजस्व के अन्य स्रोतों जैसे वीएएस, किराए और लंबी दूरी की कॉलों से हिस्से के लिए आवंटित कर दिया गया था।

5.3.19 अक्तूबर 2003 के विनियम में समान टॉप–डाउन मॉडल का प्रयोग किया गया था। कैपेक्स और ओपेक्स एसडीसीसी तक बीएसएनएल – अवयवों की लागतों पर आधरित थे। एमओयू को रूटिंग कारकों के आधार पर आकलित किया गया था।

फिक्सड समापन प्रभारों (एफटीसी) के लिए बीएसएनएल के लेखापरीक्षित लेखाओं से ऐतिहासिक औसत लागतों को तथा मोबाइल समापन प्रभारों (एमटीसी) के लिए सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं से डाटा को लिया गया था। डाटा समुचित सामान्यीकरण और समायोजनों के साथ सेवा प्रदाताओं के वार्षिक प्रतिवेदनों, तुलन–पत्रों, पी एंड एल लेखों, आदि से लिया गया था ताकि उन्हें कम विषयपरक और प्रमाणीय बनाया जा सके। एक स्थानीय कॉल की लागत स्थानीय क्षेत्र के भीतर प्रचालनात्मक लागतों पर आधारित थी। इसे एमओयू द्वारा विभाजित किया गया था, जो प्रत्येक नेटवर्क अवयव के लिए प्रासंगिक था। प्रचालनात्मक लागतों से, कॉल कैरिज से संबंधित न होने वाले लागत घटकों को हटा दिया गया था। विपणन व्ययों को अनुमति नहीं दी गई क्योंकि उन्हें राजस्व के अन्य स्रोतों से वसूला जा सकता था। इन राजस्वों से ओपेक्स के भाग की वसूली के लिए वीएएस राजस्वों को लेखा से पूर्णतया घटा दिया गया था। तथापि, यह कहा गया था:

".....जैसाकि पूर्व के मामले में है, मूल्यवर्धित राजस्वों को प्रासंगिक लागत आधार से घटाया गया है, क्योंकि ये लागतों की वसूली के लिए महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत हैं। यह अनुमानित लागतों की तुलना में, जिन्हें इन राजस्वों से वसूल किया गया है, मूल्यवर्धित सेवाओं से अधिक अर्जित करने के लिए सेवा प्रदाताओं के लिए एक प्रोत्साहन भी है। समय के साथ, उपस्कर के गिरते हुए मूल्यों, तथा इसकी उच्च क्षमता के कारण, लागतों में कमी के साथ, तथा इसके अलावा, सब्सक्राइबरों की तेजी से होने वाली वृद्धि के परिणामस्वरूप प्राधिकरण को भविष्य में सभी कॉल समापन के लिए प्रासंगिक लागतों के लिए मूल्यवर्धित सेवाओं के केवल एक ही भाग का आवंटन करने पर विचार करना होगा।"

कैपेक्स का निपटान

5.3.20 कुछ सेवा प्रदाताओं ने तर्क दिया है कि केवल समापन प्रभार के लिए प्रासंगिक ओपेक्स का आवंटन करना तथा कैपेक्स को ध्यान में न रखना समापन प्रभार के आकलन का सही तरीका नहीं है। उन्हें यह भी तर्क दिया है कि पूंजी – गहन उद्योग के लिए समापन प्रभार के आकलन में केपेक्स को भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। यहां तक कि कुछ ने इसे राजमार्गों से भी जोड़ा है, जहां पथकर में केपेक्स को ध्यान में रखा जाता है। इससे केवल यही प्रदर्शित होता है कि जो बिंदु यहां छूट रहा है, वह यह है कि दूरसंचार अवसंरचना नेटवर्क बाह्यता के कारण अन्य सभी अवसंरचनाओं से भिन्न है। जब नेटवर्क की वृद्धि होती है, नेटवर्क एक दूसरे से अंतरसंयोजित होते हैं तथा सभी सब्सक्राइबरों के लिए परिकल्पित मूल्य बढ़ जाता है। इसके साथ हमें एक अन्य तथ्य भी याद रखना होगा कि समापन प्रभार राजस्व का ऐसा एकमात्र स्रोत नहीं है जिससे समस्त केपेक्स और ओपेक्स की वसूली किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे अन्य स्रोत भी विद्यमान हैं, जैसे फिक्स्ड प्रभार, प्रारंभन प्रभार, मूल्यवर्धित सेवाओं से राजस्व आदि।

5.3.21 प्राधिकरण ने इस मामले का दो प्रकार से विश्लेषण किया (क) क्या सेवा प्रदाता समापन के लिए केवल प्रासंगिक ओपेक्स को ही ध्यान में रखते हुए सेवाओं को प्रदान करने की उनकी समस्त लागतों को वसूल करने में समर्थ हैं (ख) समापन प्रभार के आकलन में केपेक्स को लेने का प्रभाव वर्तमान प्रणाली को किस प्रकार प्रभावित करेगा।

5.3.22 प्रमुख सेवा प्रदाताओं के लिए सेवा लाभ एवं हानि का विश्लेषण उनकी लेखा पृथकीकरण रिपोर्टों में उनके द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया है तथा यह पाया गया है कि कुछ मामलों में, कुछ सेवा प्रदाताओं के संबंध में युक्तिसंगत लाभ (15 प्रतिशत डब्ल्यू एसीसी) के ऊपर अधिशेष राजस्व 16 पैसे प्रति मिनट है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सेवा प्रदाता उनके मोबाइल सेवा प्रचालनों में पर्याप्त राजस्व तथा कैश फ्लो सृजित करने में समर्थ हैं। जीएसएम मोबाइल उद्योग के पास 10 पैसे तथा समग्र रूप से वायरलैस उद्योग के लिए 5 पैसे का अधिशेष राजस्व है। यह अधिशेष दर्शाता है कि सेवा प्रदाता न केवल केपेक्स, ओपेक्स तथा उनके प्रचालनों से युक्तिसंगत लाभ वसूल करने में समर्थ है बल्कि वे उनके पास उससे कहीं अधिक अधिशेष मौजूद है। अतः वर्तमान कारकों के आधार पर समापन प्रभार का यौक्तिकीकरण उन्हें चिंता प्रदान करने वाला नहीं होगा।

5.3.23 समापन प्रभार के आकलन के लिए केपेक्स पर विचार करना अथवा इसके अनुपात को ध्यान में रखना आवश्यक रूप से सेवा प्रदाता द्वारा लिए गए व्यवसाय निर्गम के बोझ को अंतरसंयोजन सेवा प्रदाताओं तक अंतरित कर देगा। प्लानिंग होराइजन, नेटवर्क डाइमेंशनिंग, सेवा प्रदाता की प्रौद्योगिकी का अधिष्ठापन जैसे निर्णय ऐसे सेवा प्रदाता के अंतरसंयोजन को प्रभावित नहीं करने चाहिए जिसे कि अत्यंत न्यूनतम लागत का भुगतान करने की अपेक्षा है। समापन प्रभार के आकलन में केपेक्स को लेने का अर्थ होगा कि अंतरसंयोजन सेवा प्रदाता के पास अभिनव टैरिफ प्लान अथवा किरायों का कोई विकल्प नहीं होगा। सेवा प्रदाता अपने केपेक्स की वसूली किराए तथा प्रारंभन प्रभार से करने के लिए स्वतंत्र हैं, जोकि प्रविरत है। यह तर्क कि अब 90 प्रतिशत से अधिक सब्सक्राइबर प्री–पेड खंड में है, अतः केपेक्स की वसूली के लिए कोई किराया राजस्व नहीं है, अत्यंत कमजोर है। टैरिफ प्रविरत है तथा यह सेवा प्रदाता पर ही निर्भर है कि वह अपने द्वारा शुरू किए गए प्लानों की व्यवहार्यता को देखे। इन प्लानों को आरंभ करते समय सेवा प्रदाता आईयूसी प्रणाली से पूरी तरह अवगत थे तथा वे इस तथ्य को भी जानते थे कि केवल प्रासंगिक ओपेक्स की वसूली समापन प्रभार से की जाती है। वास्तव में, जब एक सेवा प्रदाता ने आजीवन प्लान प्रारंभ किया तो उसने प्राधिकरण को उसके व्यवसाय के लिए टैरिफ प्लानों की व्यवहार्यता और स्थायित्व का सबूत प्रस्तुत किया। यहां पर ऐसे सेवा प्रदाता का मामला भी है जो सभी आवक कॉलों के लिए 0.10 रू. प्रदान कर रहा था जोकि यह दर्शाता है कि प्रचालक लागत को वसूल करने में समर्थ था।

5.3.24 पूर्ण आवंटित क्रियाविधि में सेवा प्रदाताओं की सभी लागतों की एक घटक या अन्य के माध्यम से वसूली की जाए । यदि समापन प्रभार के माध्यम से केपेक्स की भी वसूली करने की अनुमति दी जाए तो फिर सेवा प्रदाताओं के बीच समापन प्रभार में भारी अंतर आएगा चूंकि कुछ सेवा प्रदाताओं ने अपने भावी पूर्वानुमानों और अपनी कारोबारी योजना के मद्देनजर पूंजी व्यय में अधिक निवेश किया होगा। यह लागत अंतरसंयोजन प्रचालक को अंतरित कर दी जाएगी।